कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Phone : Off – 06582-256366; Resi – 06582-290093, E-mail-sarandadfo@gmail.com

पत्रांक 574 / चाईबासा, दिनांक 17.03.2018 /

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,,
झारखण्ड उर्जा संचारन निगम लिमिटेड,
चाईबासा।

विषयः– झारखण्ड उर्जा संचारन निगम लिमिटेड, चाईबासा के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत 51.266 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु समर्पित Online प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि अधीक्षण अभियन्ता, झारखण्ड उर्जा संचारन निगम लिमिटेड, चाईबासा के पत्रांक 653 (अनु0) दिनांक 10.11.2017 से विषयगत कार्य के लिए 51.266 हे0 वनभूमि हेतु अपयोजन प्रस्ताव जिसमें सारण्डा वन प्रमण्डल में 9.118 हे0 वनभूमि सम्मिलित है, का Online प्रस्ताव की Hard Copy प्रमण्डलीय कार्यालय में दिनांक 11.11.2017 को प्राप्त हुआ तथा web-portal पर दिनांक 06.12.2017 को Online प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के अवलोकन /जाँचोंपरान्त निम्न त्रुटियाँ पाई गई जो निम्नवत् हैः–

(1) वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रावधानों के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी को क्षतिपूरक वनरोपण कराया जाना है। आपके द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

(2) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रस्तावित वनभूमि का अनापति प्रमाण पत्र के साथ ग्राम सभा की कार्रवाही की प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

(3) आपके प्रस्ताव के साथ अपयोजित वनभूमि को Shape file में दर्शाते हुए उसे CD के रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर प्रतिवेदन 8–8 प्रतियों में शीघ्र समर्पित करें ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ वांछित अनुपालन प्रतिवेदन Online भी Upload किया जाय।

आपका विश्वासी,

Rajnish Kumar 17/3/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।